भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3081

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है

ओडिशा में कोयला उत्पादन

3081. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा में कुल कोयला उत्पादन का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रॉयल्टी, नीलामी प्रीमियम राशि और राजस्व हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ जैसे कोयला उत्पादक जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के तहत कुल संचित निधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क अवसंरचना और पर्यावरणीय बहाली के लिए डीएमएफ निधियों के उपयोग के पैटर्न की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा पश्चिमी ओडिशा के आस-पास और पिछड़े जिलों में खनन से संबंधित लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य में उत्पादित कोयले की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रॉयल्टी और राजस्व हिस्से का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

वर्ष	उत्पादन (मात्रा मिलियन टन में)	रॉयल्टी भुगतान (₹ करोड़ में)	राजस्व हिस्सेदारी (₹ करोड़ में)
2023-24	239.40	3881.79	1296.391
2024-25	269.36	3686.71	1553.599

कोयला/कोयला लिंकेज की नीलामी में पाया गया नीलामी प्रीमियम कोयला कंपनियों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(ख) : पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अंगुल, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ के कोयला उत्पादक जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) के अंतर्गत उपार्जित कुल निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है -

जिला	उपार्जन आधार पर डीएमएफ (₹ करोड़ में)		
	2022-23	2023-24	2024-25
अंगुल	630.03	526.34	472.45
झारसुगुडा	202.99	179.41	181.58
सुंदरगढ़	281.00	252.48	261.62

(ग) और (घ) : कोयला उत्पादक जिलों को खनन संबंधी लाभों के विकास और समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डीएमएफ का प्रावधान अधिनियमित किया है जो मुख्य रूप से कोयला उत्पादक जिलों में विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके अलावा, डीएमएफ निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, खान मंत्रालय ने सितंबर 2015 में राज्यों को उनके द्वारा डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को शामिल करने का आदेश जारी किया। इसके अलावा, जनवरी 2024 में, खान मंत्रालय ने सितंबर 2015 के पूर्व आदेश के अधिक्रमण में डीएमएफ के लिए बनाए गए नियमों में संशोधित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) को शामिल करने का आदेश जारी किया है। मौजूदा प्रावधानों में यह अधिदेशित है कि डीएमएफ निधि का कम से कम 70 प्रतिशत उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डीएमएफ निधि का 30% तक अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे वास्तविक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा और वाटरशेड विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसी भी अन्य उपायों में उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कुल डीएमएफ फंड का न्यूनतम 70% विशेष रूप से सीधे प्रभावित क्षेत्रों (अर्थात् खान सीमा से 15 किमी के भीतर) में खर्च किया जाना है और कुल डीएमएफ निधि का 30% तक अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों (अर्थात् खान सीमा से 15 से 25 किमी) में खर्च किया जाना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रभावित समुदायों को सकेंद्रित और संधारणीय विकास सहायता प्राप्त हो।

****